

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016

आवश्यक सूचना

संख्या : 5635

राँची, दिनांक-11.09.2019.

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बोकारो जिला के संस्कृत विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 21/2016 प्रकाशित करते हुए दिनांक- 06.02.2017 से 25.04.2017 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे जिनमें वैध पाये गये अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक- 29.10.2017, 12.11.2017, 19.11.2017, 25.11.2017, 26.11.2017 तथा 02.12.2017 को ली गई। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक को किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक- 09.02.2019 को पुनः आमंत्रित किया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्तें विवरणिका की कंडिका 8 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

(i) ऑनलाईन आवेदन में क्षेत्रीय आरक्षण तथा अनूसूचित जिलों की रिक्रियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना अनिवार्यतः आवश्यक होगा। दिनांक- 02.06.2016 के पश्चात निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विहित प्रपत्र परिशिष्ट- III में है।

(ii) अनूसूचित जिलों तथा अन्य जिलों में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना आवश्यक होगा।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।"

3. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है।

4. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्तें निम्नवत् निर्धारित है :-

क) आरक्षण:- यथा विवरणिका की कंडिका- 8 में निहित

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।
- (III) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण तथा निःशक्तता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग की महिला तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (IV) अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:—

- (i) जाति प्रमाण पत्र— जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए विहित-प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iii) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं यह प्रमाण पत्र दिनांक- 02.06.2016 के पश्चात निर्गत होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकित है जो निम्नवत् है :—

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	4
1.	संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी	संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी विषयों के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री। अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समिति द्वारा संस्कृत शिक्षक के लिए आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण), अरबी, उर्दू, फारसी शिक्षकों के लिए संबंधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में फाजिल की डिग्री

	अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी भाषा (जिसमें नियुक्ति होनी है) में स्नातकोत्तर की डिग्री तथा उक्त किसी एक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0 एड0 की डिग्री।
--	--

- (i) स्नातक डिग्री राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।
- (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद—(NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि—17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
- (iii) वैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति/क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया है वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड/क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
- (iv) शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वांछित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (v) वैसे अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बी0एड0 के लिए समकक्ष डिग्री हेतु प्रशिक्षण पुरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं भी आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के पूर्व यथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की विवरणिका की कंडिका 6 में अंकित:—

न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2016 के संदर्भ में की जायेगी :-

(क) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम आयु सीमा :-

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए
1.	अनारक्षित/सामान्य—	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला { अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) }	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

सभी वर्ग के (प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक सहित) निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-V) में मान्य होगा।

घ) सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वांछित अनुभव विवरणिका की कंडिका-5 (iv) में अंकित है जो निम्नवत् है:-

(iv) झारखण्ड राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त हैं, वे कर्णांकित पदों (25 प्रतिशत रिक्ति) पर आवेदन देने के पात्र होंगे।

दिनांक- 04.09.2018 को प्रकाशित 'आवश्यक सूचना' के माध्यम से संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य) के आलोक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम हेतु के क्रम में झारखण्ड सरकार के प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रकाशित किया गया है

5. उपर्युक्त शर्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित है:-

क्र. स.	नाम/अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1. संस्कृत (सीधी भर्ती)				
1	ABHILASH KUMAR GAUTAM, 19135195615, 16-Mar-92	अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक-03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा दिनांक-25.04.2017 (आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि) के पश्चात् एम0 ए0 (संस्कृत) एवं शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र समर्पित है। आयोग के पत्रांक-4490, दिनांक-26.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-30.08.2019 तक रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक-27.08.2019 को इसके प्रत्युत्तर में काशी हिन्दु विश्वविद्यालय का दिनांक-26.08.2019 को निर्गत शास्त्री (ऑनर्स) का बी०ए० डिग्री के समकक्षता एवं आचार्य की उपाधि स्नातकोत्तर के समतुल्यता होने संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	KRISHNA KUMAR MISHRA, 23115213009, 20-Mar-81	अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं आचार्य (नव्य व्याकरणम्) का प्रमाण पत्र समर्पित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-30.08.2019 तक रखने का निदेश दिया गया।	दिनांक-29.08.2019 को समर्पित स्पष्टीकरण में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र पत्रांक-928/2019, दिनांक-28.08.2019 संलग्न की गई है जिसमें यह अंकित है कि विश्वविद्यालय में नव्य व्याकरण सम्पूर्ण व्याकरण के रूप में अध्ययन/अध्यापन के रूप में स्वीकृत है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया गया है कि शास्त्री उपाधि बी०ए०(संस्कृत) के समकक्ष है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

3	<p style="text-align: center;">LAVLESH KUMAR SHUKLA, 12114130309, 15-Jul-92</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं आचार्य (नव्य व्याकरणम्) का प्रमाण पत्र समर्पित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-28.08.2019 तक रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>दिनांक-28.08.2019 को समर्पित स्पष्टीकरण में अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से निर्गत पत्रांक-रासंसं/परीक्षा/विविध/2019/35, दिनांक-27.08.2019 समर्पित किया गया है जिसमें अंकित है कि व्याकरण एवं नव्य व्याकरण एक ही विषय है तथा आचार्य परीक्षा एम0ए0 परीक्षा के समान है। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का पत्रांक-शून्य, दिनांक-26.08.2019 भी समर्पित किया गया है जिसमें शास्त्री (ऑनर्स) की उपाधि को संस्कृत में स्नातक बताया गया है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
4	<p style="text-align: center;">DIGVIJAY NATH MISHRA, 16121167286, 29-Aug-93</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं आचार्य (नव्य व्याकरणम्) का प्रमाण पत्र समर्पित है। आयोग के पत्रांक-4440, दिनांक-21.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-28.08.2019 तक रखने का निदेश दिया गया। पुनः आयोग के पत्रांक-5240, दिनांक-03.09.2019 द्वारा दिनांक-06.09.2019 तक रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी का प्रत्युत्तर अप्राप्त है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
5	<p style="text-align: center;">JITENDRA KUMAR DWIVEDI, 11135126657, 16-Apr-92</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक-03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं आचार्य (नव्य व्याकरणम्) का प्रमाण पत्र समर्पित है। आयोग के पत्रांक-4450, दिनांक-21.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-28.08.2019 तक एवं पुनः पत्रांक-5241, दिनांक-03.09.2019 द्वारा दिनांक-06.09.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>दिनांक-05.09.2019 को प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करते हुए कहा गया है कि शास्त्री उपाधि बी0ए0 संस्कृत परीक्षा के समकक्ष है एवं नव्यव्याकरण व्याकरण विषय ही है।</p>	<p>नव्यव्याकरण व्याकरण ही है क्योंकि यह व्याकरण का अंश है जबकि व्याकरण के अंतर्गत नव्यव्याकरण एवं प्राचीन व्याकरण दो अंश हैं। अभ्यर्थी द्वारा व्याकरण के अंश के रूप में अध्ययन किया गया है। उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

6	<p>SWARNA ARYA, 26119225360, 09-Aug-92</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। आयोग के पत्रांक-4444, दिनांक-21.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-28.08.2019 तक रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>दिनांक-22.08.2019 को शास्त्री (ऑनर्स) के बी0ए0 के समकक्षता संबंधी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से निर्गत पत्रांक-एस बी0डी0वी0/644, दिनांक-21.01.2019 संलग्न की गई है जिसमें शास्त्री उपाधि को बी०ए० (संस्कृत) के समकक्ष प्रमाणित किया गया है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
7	<p>ASHIT KUMAR MAHATO, 19121188942, 10-Jun-86</p>	<p>दिनांक 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक- 09.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।</p>		<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>
8	<p>MANISH KUMAR PANDEY, 15116158800, 03-Jan-92</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में उनके द्वारा शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं आचार्य (नव्य व्याकरणम्) का प्रमाण पत्र समर्पित है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए अपना पक्ष दिनांक-28.08.2019 तक रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>इसके प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-ESSAT/2123/19 , दिनांक-26.07.2019 समर्पित किया गया है जिसमें शास्त्री प्रतिष्ठा (ऑनर्स) को संस्कृत स्नातक प्रतिष्ठा (बी0ए0 ऑनर्स) के समकक्ष प्रमाणित किया गया है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

9	<p style="text-align: center;">RASBIHARI MAHATO, 16132172694, 05-Mar-91</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I कोटि में दावा किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक- 10.07.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I एवं दिनांक 24.03.2017 को अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 25.04.2017 थी एवं अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं। आयोग के पत्रांक-4457, दिनांक-22.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक- 29.08.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः दिनांक-10.07.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
10	<p style="text-align: center;">MADALSA RANI KALPANA, 15124161924, 25-Feb-75</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I कोटि में दावा किया गया है परन्तु दिनांक 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक- 29.03.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से पति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थीं। आयोग के पत्रांक-988, दिनांक-16.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक- 23.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने में असमर्थता जताई गई है।</p>	<p>उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-235, दिनांक-20.01.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण को अमान्य किया गया है। अतः आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>

11	<p style="text-align: center;">SHANTI KUMARI JYOTI, 21119203995, 13-Jul-73</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में बी०एड० एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में दावा किया गया है परन्तु दिनांक-03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके दिनांक-03.04.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित बी०एड० के प्रमाण पत्र में परीक्षा की तिथि-जुलाई, 2018 अंकित है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.04.2017 थी। आयोग के पत्रांक-4464, दिनांक-22.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 29.08.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक- 03.04.2019 को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
12	<p style="text-align: center;">BALDEV KUMAR SEN, 24119216375, 02-Mar-86</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में बी०एड० होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक- 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा समर्पित बी०एड० के प्रमाण पत्र में सत्र-2016-18 अंकित है। उल्लेखनीय है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि-25.04.2017 थी। आयोग के पत्रांक-4467, दिनांक-22.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-26.08.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। पुनः आयोग के पत्रांक-5242, दिनांक-03.09.2019 द्वारा दिनांक-06.09.2019 तक अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।</p>	<p>दिनांक-06.09.2019 को समर्पित प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी द्वारा कहा गया है कि उनका बी०एड० सत्र-2016-18 है परन्तु आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित करने के पूर्व उनका बी०एड० सत्र पूर्ण हो चुका था।</p>	<p>आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि-25.04.2017 तक बी०एड० का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अहर्ता के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।</p>

13	<p align="center">30114274334 REENA KUMARI 17-Sep-78</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में बी०एड० एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-II कोटि में दावा किया गया है परन्तु दिनांक 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत से दिनांक-19.01.2016 को निर्गत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-25.04.2017 है। अयोग के पत्रांक-4515, दिनांक-26.08.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-30.08.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>इसके प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक- 08.01.2019 को निर्गत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-02) का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।</p>	<p>आरक्षण दावे के समर्थन में उपर्युक्त कंडिका 4 (क)(v) की शर्तों के आलोक में जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
----	---	---	---	--

संस्कृत (कार्यरत शिक्षक हेतु)

1	<p align="center">16131172100 NILU SINGH 30-Dec-73</p>	<p>आवेदन पत्र में कार्यरत शिक्षक होने होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक-03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत होने संबंधी कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु प्रपत्र की कण्डिका-14 में झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक नही होने का तथ्य अंकित किया गया है।</p>		<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (घ) के आलोक में वांछित कार्यानुभव प्रमाण पत्र नहीं समर्पित करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधी नियुक्ति तक सीमित की जाती है।</p>
2	<p align="center">24119216258 MINA KUMARI 01-Mar-81</p>	<p>आवेदन पत्र में कार्यरत शिक्षक होने होने का दावा किया गया है परन्तु दिनांक-03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत होने संबंधी कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए आयोग के पत्रांक-1055, दिनांक-16.01.2019 द्वारा दिनांक-23.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी का अभिकथन है कि आवेदन भूलवश सामान्य कोटे के स्थान पर कार्यरत शिक्षक के कोटे में आवेदन भरा था।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (घ) के आलोक में वांछित कार्यानुभव प्रमाण पत्र नहीं समर्पित करने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधी नियुक्ति तक सीमित की जाती है।</p>

3	11135127178 SANJAY KUMAR TRIVEDI 11-Jan-78	दिनांक— 03.01.2019 से 23.01.2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक— 09.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
---	---	--	--

ह0 /—
परीक्षा नियंत्रक।